न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नं०–1)/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम महोबा।

पीठासीन अधिकारी– ध्रुव राय, (एच०जे०एस०)

UPMB010006432013

विशेष वाद/परिवाद संख्या–56/2013
कम्प्यूटर संख्या–56/2013
UPMB010006432013

श्रीमती “X” थाना पनवाड़ी, जिला महोबा, उ०प्र०।

----------परिवादिनी।

बनाम

1–जस्सू पुत्र श्री जौहरी लोधी

2– फूल सिंह पुत्र श्री जौहरी लोधी

3– वन्टा पुत्र श्री जौहरी लोधी

4– कल्लू पुत्र श्री जौहरी लोधी

5– गुलाब पुत्र श्री जौहरी लोधी

6– देव सिंह पुत्र श्री हीरालाल लोधी

7– लक्षमन पुत्र श्री हीरालाल लोधी

समस्त निवासीगण ग्राम भरवारा, थाना पनवाड़ी, जिला महोबा, उ०प्र०।

-------- अभियुक्तगण।

धारा–376, 511, 395, 397,
364 भा0 दं0 सं0
थाना–पनवाड़ी, जिला–महोबा।

राज्य की ओर से अधिवक्ताः– श्री तेज प्रताप पचौरी, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता।

अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ताः– श्री भारत विशाल शुक्ला, श्री अनंतराम तिवारी, एडवोकेट।

परिवाद से सम्बन्धित विवरण संक्षेप में

घटना दिनांक	25.07.2013	समय	08:00 बजे शाम
परिवाद संस्थापना दिनांक		30.08.2013	
आरोप विरचित होने का दिनांक		24.04.2017	

आरोप उपरान्त परीक्षित अभियोजन साक्षीगण का विवरण

पी०डब्लू०–1	श्रीमती "X" परिवादिनी	07.12.2018
पी०डब्लू०–2	लाल सिंह	07.02.2025

बयान अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा–313 दं0 प्र 0 सं0 दिनांक	18.05.2026

बचाव साक्षीगण का विवरण

अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य देना व्यक्त किया गया तथा अपने बचाव में डी०डब्लू०–1 इन्द्रपाल की साक्ष्य अंकित कराई गयी है।

बहस दिनांक	09.06.2026
निर्णय दिनांक	11.06.2026
समयावधि	12 वर्ष 9 माह 12 दिन

निर्णय

1. अभियुक्तगण जस्सू, फूल सिंह, वन्टा, कल्लू, गुलाब, देवसिंह व लक्ष्मन का विचारण इस विशेष परिवाद संख्या–56/2013 श्रीमती "X" बनाम जस्सू आदि में परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा–376, 511, 395, 397, 364 भा०दं०सं० विचारण हेतु तलब किये जाने के उपरान्त सुनिश्चित हुआ।

अभियोजन कथानक

2. परिवादिनी के परिवाद का संक्षेप सार इस प्रकार है कि परिवादिनी/प्रार्थिनी ने न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादिनी थाना पनवाड़ी, जिला महोबा की रहने वाली है। यह घटना दिनांक–25.07.2013 को समय करीब 8.00 बजे शाम की है, जब परिवादिनी का पति घर पर नहीं था, लैटरिन करने गया था कि उसी समय गांव के दबंग व्यक्ति जस्सू, फूल सिंह, वन्टा व कल्लू पुत्रगण श्री जौहरी लोधी व गुलाब, देव सिंह, लक्ष्मन पुत्रगण श्री हीरालाल लोधी प्रार्थिया के मकान में घुस आये और मादर चोदी व भोषड़ी वाले की गाली देते हुए प्रार्थिया को फूल सिंह व लक्ष्मन ने बुरी नियत से पकड़ लिया और बाकी सभी लोग कहने लगे कि मादर चोदी के साथ बुरा काम कर डालो, तो उक्त फूल सिंह ने बुरी नियत से पकड़ लिया तथा लक्ष्मन ने कपड़े फाड़ दिये तथा **बुरा काम करने का प्रयास किया** तो प्रार्थिया चिल्लायी तो प्रार्थिया का

पति लैटरिन होकर आ चुका था और दोड़कर आया और उसके साथ में रिश्तेदार आ गये और देखा कि **उक्त लोग परिवादिनी को पकड़कर जमीन पर पटके हैं तथा बलात्कार करना चाहते हैं** तो परिवादिनी का पति व रिश्तेदार शिवकुमार ने कहा कि भइया हमारे सूने घर में मेरी पत्नी के साथ यह क्या कर रहे हो तो **परिवादिनी के पति को पकड़कर बुरी तरह से घर के अन्दर कुल्हाड़ी की मुदाड़ी व डण्डों से मारने पीटने लगे** तथा देव सिंह, कल्लू व फूल सिंह नाजायज बन्दूके लिये थे, जिससे परिवादिनी के रिश्तेदार कह रहे थे कि तुम बीच में न आना, इसकी व इसके लड़के नरेश को पकड़कर ले जायेंगे और जान से मार कर फैंक देंगे और प**रिवादिनी के कानों के बाले और मंगलसूत्र सोने की छीनकर परिवादिनी के पति को मारते–पीटते हुए व लड़के नरेश को बन्दूक के बल पर दहशत फैलाते हुए पकड़कर अपहरण करके ले गये तथा कह रहे थे कि मादरचोदी आज तो तेरी इज्जत बच गयी है, अबकी बार नहीं बचेगी और परिवादिनी के घर पर ताले डाल दिये, किसी भी मुहल्ले वाले की बचाने की हिम्मत तक नहीं हुई और परिवादिनी के पति को व लड़के को घसीटते हुए ले गये और कहीं मारकर फैंक दिया,** तब परिवादिनी व परिवादिनी का रिश्तेदार शिवकुमार उसको रात भर ढूंढा, कहीं पता नहीं चला, सुबह 8.00 बजे गांव के बार खेतों पर परिवादिनी का प**ति मरणासन्न स्थिति में पड़ा मिला तथा लड़का नहीं मिला, परिवादिनी ने देखा और उसको हिलाया–डुलाया तो सांसे चल रहीं थीं, बेहोश पड़ा था,** तब उक्त 108 नम्बर पुलिस ने बुलवाया और पनवाड़ी अस्पताल ले गयी और थाने में रिपोर्ट किया और पनवाड़ी सरकारी अस्पताल में डाक्टरी हुयी, तब परिवादिनी के पति को होश आया, तब परिवादिनी के पति ने बताया कि **नरेश को उक्त लोग पकड़कर ले गये हैं,** कहीं उसकी हत्या करके फेंक सकते हैं, परिवादिनी के पति के पूरे शरीर में घातक चोटें थीं तथा खोपड़ी में घातक चोटें थीं, जिससे मर सकता था और छाती व जांघों में फूल सिंह व लक्षमन की नाखूनों के निशान थे तो परिवादिनी की डाक्टरी नहीं करायी गयी और न ही उनकी रिपोर्ट लिखी गयी, बल्कि पुलिस अभियुक्तगण से मिल गयी और उन्हें छोड़ दिया। परिवादिनी के पति के साथ कभी भी उक्त लोग घटना कर सकते हैं, **क्योंकि इससे पहले भी दो बार परिवादिनी के घर में घुसकर परिवादिनी के पति व परिवादिनी की मारपीट कर चुके हैं,** उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है और बाद में परिवादिनी व परिवादिनी का पति **अपने लड़के नरेश को तलाश रहे हैं और कहीं पता नहीं चल रहा है**। पुलिस ने इस प्रकरण में जब कोई कार्यवाही नहीं की, तब परिवादिनी ने पुलिस अधीक्षक महोबा एवं पुलिस उच्चाधिकारियों को रजिस्टर्ड सूचना प्रेषित की थी, जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है और अभियुक्तगण बराबर जान माल की धमकी दे रहे हैं। परिवादिनी/प्रार्थिनी के उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० को विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया व परिवादिनी के बयान अन्तर्गत धारा–200 व साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा–202 दं०प्र०सं० अंकित कराये गये।

3. परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के उपरान्त व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से संतुष्ट होते हुए तथा अभियुक्तगण जस्सू, फूल सिंह, वन्टा, कल्लू, गुलाब, देवसिंह व लक्षमन को विचारण हेतु आहूत किये जाने के प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त आधार पाते हुए विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांकित–19.12.2015 के माध्यम से अभियुक्तगण जस्सू, फूल सिंह, वन्टा, कल्लू, गुलाब,

देवसिंह व लक्षमन को अन्तर्गत धारा–376, 511, 395, 397, 364 भा०दं०सं० विचारण हेतु आहूत किया गया।

4. अभियुक्तगण के न्यायालय उपस्थित होने के उपरान्त विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण पर आरोप अन्तर्गत धारा–376, 511, 395, 397, 364 भा0 दं0 सं0 विरचित करने के पर्याप्त आधार पाते हुए उक्त अभियुक्तगण जस्सू, फूल सिंह, वन्टा, कल्लू, गुलाब, देवसिंह व लक्षमन पर दिनांक–24.04.2017 को सम्बन्धित अपराध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त द्वारा आरोपों से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया।

5. परिवादी/अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का विवरण अग्र प्रकार है–

क्रमांक	**साक्षी जिसकी साक्ष्य अंकित हुई है व जिसके द्वारा दस्तावेज एवं वस्तु प्रदर्श को साबित किया गया है।**	**प्रस्तुत दस्तावेज जिसको साक्षी द्वारा साबित किया गया है।**	**अंकित प्रदर्श**	**साक्षी का प्रकार चक्षुदर्शी/अनुश्रुत / पीड़ित**
1.	पी०डब्लू०–1 श्रीमती "X"	परिवाद पत्र/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं०	प्रदर्श क–1	परिवादिनी
2.	पी०डब्लू०–1 श्रीमती "X"	शपथ पत्र	प्रदर्श क–2	परिवादिनी
3.	पी०डब्लू०–1 श्रीमती "X"	पुलिस अधीक्षक को दिया गया प्रार्थना पत्र	प्रदर्श क–3	परिवादिनी
4.	पी०डब्लू०–1 श्रीमती "X"	रसीद कागज संख्या–7 ख	प्रदर्श क–4	परिवादिनी

6. अभियोजन साक्ष्य उपरान्त बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा–313 दं0 प्र 0 सं0 दिनांक–18.05.2026 को अंकित किये गये जिसमें अभियुक्तगण द्वारा कथन किया गया है कि झूंठा परिवाद दाखिल किया गया है तथा गांवदारी की रंजिश के कारण झूँठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोष होना भी बताया गया है। अभियुक्तगण द्वारा अपने बचाव में डी०डब्लू०–1 इन्द्रपाल की साक्ष्य अंकित कराई गयी है।

7. न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, एवं परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को तथा अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को श्रवण किया गया।

अभियोजन पक्ष के तर्क

8. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये कि अभियोजन के दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक–25.07.2013 को समय करीब 8.00 बजे

शाम परिवादिनी के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया तथा परिवादिनी के कानों के बाले और मंगलसूत्र लूट लिये एवं परिवादिनी के पति कल्लू व लड़के नरेश के साथ लूट के दौरान मारपीट करके घोर उपहति कारित एवं परिवादिनी के पति व लड़के नरेश का अपहरण उनकी हत्या करने के आशय से किया। अभियुक्तगण द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किया जाए।

अभियुक्त पक्ष के तर्क

9. अभियुक्त पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये कि अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की गयी और न ही परिवादिनी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया है। परिवादिनी द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाकर अभियुक्तगण को झूँठा इस प्रकरण में फंसा दिया है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। अभियुक्तगण को गांवदारी की रंजिश के कारण झूँठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। सभी अभियुक्तगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा सभी अभियुक्तगण द्वारा परिवादिनी के साथ एक साथ बलात्कार करने का प्रयास करना स्वयं में घटना को संदिग्ध बनाता है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाए।

10. न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली तथा विधि के प्राविधान का सम्यक रूपेण परिशीलन किया गया।

प्रकरण में प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य का विवरण

11. अभियोजन/परिवादी पक्ष की ओर से अभियुक्त पर लगे आरोपों को साबित करने के सम्बन्ध में जिन साक्षीगण की साक्ष्य अंकित कराई गई है, उन साक्षीगण की साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण अग्र प्रकार से अंकित किया जा रहा है।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–1 श्रीमती "X"ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना साक्ष्य दिनांक से 5 साल 3 महीना पहले की, रात आठ बजे की है। साक्षिया के पति गांव के बाहर लैट्रिन करने गये थे, उसी समय गांव के दबंग व्यक्ति जस्सू, फूल सिंह, बन्टा, कल्लू, गुलाब, लक्ष्मण, देवसिंह, साक्षी के घर के अन्दर घुस आये और गाली गलौज कर गन्दी–गन्दी गाली देने लगे, कपड़े फाड़े व चमरिया कहा। पहले साक्षिया को फूल सिंह व लक्ष्मण ने बुरी नियत से पकड़ लिया और खींचातानी करने लगे, कपड़े फाड़ने लगे। साक्षिया की इज्ज़त लूटना चाहते हैं। बाकी लोग साक्षिया के घर के अन्दर घुस आये, साक्षिया चिल्लायी तो साक्षिया का पति व शिवकुमार मुडेरा वाला आ गये। साक्षिया के पति को कुल्हाड़ी की मूंद से बंदूकों की बटों से मारा–पीटा व साक्षिया के लड़के व पति को घर से खींचकर गांव के बाहर ले गये थे। मारपीट कर बेहोश करके गांव के बाहर डाल दिया था। साक्षिया के कानों के बाला व मंगलसूत्र, जो सोने के थे, खींचकर ले गये थे और कह रहे थे कि साली चमरिया, आज तो बच गयी, दुबारा नहीं बचने देंगे। **सुबह गांव के बाहर पति बेहोश पड़े मिले थे, तब 108 नम्बर एम्बुलेंस बुलायी थी और पनवाड़ी अस्पताल में दाखिल किया था।** साक्षिया के पति को काफी चोटें आयीं थीं। साक्षिया के नाखूनों की छाती व जांघों में चोटें थीं। साक्षिया थाने में

रिपोर्ट करने गयी थी, कोई सुनवाई नहीं हुयी थी। तब साक्षिया ने एस०पी० साहब को प्रार्थना पत्र दिया था और उसके बाद भी रिपोर्ट अंकित नहीं की गयी थी, तब न्यायालय में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। साक्षिया ने प्रार्थना पत्र कागज संख्या–3क को प्रदर्श क–1, शपथ पत्र को प्रदर्श क–2, पुलिस अधीक्षक को दिया गया प्रार्थना पत्र प्रदर्श क–3 व रसीद कागज संख्या–7ख को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है।

13. साक्षी पी०डब्लू०–2 लाल सिंह ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना दिनांक–25.07.2013 को शाम के 8 बजे की है। साक्षी घर पर नहीं था, लैट्रिन करने घर के बाहर गया था। तभी साक्षी के घर के अन्दर साक्षी के गांव के फूल सिंह, जस्सू, कल्लू, बन्टा, गुलाब सिंह, देव सिंह, लक्ष्मण आ घुसे। अभियुक्तगण ने साक्षी की पत्नी "X" को बुरी नियत से पकड़ लिया तथा बुरा काम करने का प्रयास किया और कपड़े फाड़ दिया। साक्षी की पत्नी चिल्लाई थी, जब साक्षी लैट्रिन करके घर वापस आ गया, तब अभियुक्तगण साक्षी के घर में घुस थे और साक्षी की पत्नी की मारपीट कर रहे थे और साक्षी की पत्नी "X"चिल्ला रही थी। अभियुक्तगण फूल सिंह, कल्लू, देव सिंह, लक्ष्मण साक्षी की पत्नी "X" को पकड़े थे और उसके साथ गलत काम कर रहे थे। गलत काम से साक्षी का तात्पर्य बलात्कार करने से है तथा शेष अभियुक्तगण घर के आंगन में खड़े थे। जैसे ही साक्षी घर के अन्दर पहुँचा, अभियुक्तगण ने साक्षी को पकड़ लिया और मारपीट की तथा जमीन पर पटक दिया। जब साक्षी घर वापस आया था, तब साक्षी का रिश्तेदार शिवकुमार साक्षी के साथ था। तब अभियुक्तगण ने शिवकुमार को धमकी देकर भगा दिया था। साक्षी को अभियुक्तगण ने कुल्हाड़ी की मुदारी से मारापीटा था, जिससे साक्षी को चोटें आयीं थीं, साक्षी बेहोश हो गया था और साक्षी को अभियुक्तगण उठाकर ले गये थे और साक्षी को गांव के बाहर फेंक दिया था तथा साक्षी के लड़के नरेश को भी मारापीटा था और पकड़कर ले गये थे। इस घटना में अभियुक्तगण ने साक्षी की पत्नी "X" के कानों के बाला और मंगलसूत्र जो सोने के थे, छीनकर ले गये थे। अभियुक्तगण फूल सिंह, कल्लू, देवसिंह बन्दूकें लिये थे, अभियुक्तगण जस्सू व लक्ष्मण कुल्हाड़ी लिये थे। अभियुक्त बन्टा डण्डा लिये था, **सुबह साक्षी को पुलिस उठाकर अस्पताल लाई थी। वहाँ साक्षी की डाक्टरी हुई थी और इलाज हुआ था।** साक्षी के हाथ, पैर, सिर तथा पीठ में चोटें आईं थीं, साक्षी के शरीर से खून बह रहा था। अभियुक्तगण साक्षी को मरणासन्न स्थिति में छोड़ गये थे। घटना की सूचना साक्षी की पत्नी "X"ने थाना पनवाड़ी में दी थी, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई थी, तब साक्षी की पत्नी ने एस०पी० को प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर भी कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय में मुकदमा लिखाया था। साक्षी की अभियुक्तगण से पहले से कोई भलाई–बुराई नहीं थी। अभियुक्तगण साक्षी के ही गांव के हैं।

14. अभियुक्तगण द्वारा अपने बचाव में डी०डब्लू० 1 इन्द्रपाल की साक्ष्य अंकित करायी गयी है, जिसने अपने सशपथ बयान में कथन किये हैं कि श्रीमती "X" पत्नी कल्लू उर्फ लाल सिंह का मकान साक्षी के बगल में है। साक्ष्य दिनांक से लगभग तेरह साल पहले गांव के जस्सू, फूल सिंह, बन्टा, कल्लू, गुलाब, देव सिंह, लक्ष्मन ने लाल सिंह के घर पर आकर कभी न ही कोई गाली गलौज की थी और न ही मकान के अन्दर घुसकर लाल सिंह की पत्नी "X" के साथ छेड़छाड़ किया था और न ही कोई

मारपीट की थी और न ही उसके लड़के को पकड़कर अपने साथ ले गये थे और न ही ऐसी किसी घटना की चर्चा साक्षी ने गांव में सुनी है। यह जरूर बाद में पता चला था कि लाल सिंह ने अपनी पत्नी से जस्सू आदि के खिलाफ फर्जी मुकदमा न्यायालय महोबा में लिखाया है। साक्षी के गांव में पार्टी बन्दी है, "X" व लाल सिंह, भान सिंह प्रधान के पार्टी के हैं और जस्सू आदि पालीवाल के पार्टी के हैं। इसी गांवदारी व पार्टीबन्दी के कारण फर्जी मुकदमा लिखाया गया है। साक्षी पार्टीबन्दी में नहीं पड़ता है। साक्षी के गांव के सभी लोगों से सामान सम्बन्ध हैं।

15. **उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अब यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक–25.07.2013 को समय करीब 8.00 बजे शाम परिवादिनी के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया तथा परिवादिनी के कानों के बाले और मंगलसूत्र लूट लिये एवं परिवादिनी के पति कल्लू व लड़के नरेश के साथ लूट के दौरान मारपीट करके घोर उपहति कारित एवं परिवादिनी के पति व लड़के नरेश का अपहरण उनकी हत्या करने के आशय से किया?**

16. पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या–9 क के अनुसार परिवादिनी के पति द्वारा शराब के नशे में अभियुक्तगण से विवाद किया था, जिसमें मारपीट हुई थी और परिवादिनी के पति को चोटें आईं थीं। परिवादिनी के पति को अस्पताल इलाज हेतु ले जाया गया था। वहाँ पुलिस को बताया गया कि परिवादिनी का पति नशा कम होने पर इलाज के दौरान बिना बताये अस्पताल से भाग गया है। उक्त आख्या में यह भी अंकित है कि परिवादिनी का पति शराब के नशे में परिवादिनी के सहयोग से देवनारायण को तलवार मारी थी, इसके सम्बन्ध इसके सम्बन्ध में मु०अ०सं०–310/2013 अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं० दर्ज हुआ व विवेचना उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया गया। घटना दिनांक–26.07.2013 को समय करीब 11.00 बजे परिवादिनी के पति द्वारा शराब पीकर विपक्षी/अभियुक्तगण से गाली गलौज व मारपीट की गयी थी, जिस हेतु दिनांक–01.08.2013 को मु०सि०सं०–120/2013 अन्तर्गत धारा–151, 107, 116 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी तथा यह भी अंकित है कि परिवादिनी के पति की पूर्व पत्नी से जन्मे पुत्र नरेश करीब 6 माह पूर्व अपने मां–बाप से लड़कर दिल्ली चला गया था और वर्तमान समय में दिल्ली में मजदूरी कर रहा है। परिवादिनी द्वारा राय मसविरा कर विधिक परामर्श से उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है।

17. प्रस्तुत मामले में परिवादिनी द्वारा कोई चिकित्सीय साक्ष्य न्यायायलय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादिनी की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–2 ने अपनी जिरह के दौरान कहा है कि इस मुकदमें की पूरी कहानी उसकी पत्नी द्वारा बनाई गयी है तथा यह भी कहा गया है कि मुल्जिमान ने उसके घर आकर उसके साथ मारपीट की थी, जिसके कारण उसकी पत्नी द्वारा यह मुकदमा लिखवाया गया था। यह भी कहा है कि मुल्जिमान ने उसके साथ मारपीट की थी व उसकी पत्नी व शिवकुमार के साथ कोई मारपीट नहीं की थी तथा मुल्जिमान उसके अलावा किसी को पकड़कर नहीं ले गये थे। हालांकि परिवादिनी पी०डब्लू०–1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में गाली–गलौज, मारपीट, अपने लड़के व पति को बाहर लिये जाने तथा उसके कानों के बाला व मंगलसूत्र खींचकर ले जाने का कथन किया गया है, परन्तु अभियोजन द्वारा परिवादिनी के पुत्र को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं

कराया गया है तथा पुलिस की आख्या के अनुसार परिवादिनी का पुत्र घटना से करीब 6 माह पूर्व से अपने मां–बाप से नाराज होकर दिल्ली में रह रहा था। परिवादिनी का पति भी अभियोजन साक्षियों के अनुसार घटना के अगले दिन गांव के बाहर पाया गया था, जिसे इलाज हेतु सरकारी एम्बुलेंस द्वारा पनवाड़ी सी०एच०सी० लाया गया था। पुलिस की आख्या के अनुसार पी०डब्लू०–2 नशे की हालत में अस्पताल लाया गया था तथा जब उसका नशा कम हुआ तो वह अस्पताल से भाग गया। परिवादिनी का पति जब न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ, तब उसके द्वारा कहा गया कि उसने विगत रात को शराब पी थी, जिस कारण उसके मुंह से महक आ रही है। इन परिस्थितियों में परिवादिनी का कथन कि उसके पुत्र व पति का अपहरण किया गया, मिथ्या प्रतीत होता है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 की जिरह से भी यह परिलक्षित हो रहा है कि दोनों पक्षकार अलग–अलग ग्राम प्रधानों को सपोर्ट करते हैं। परिवादिनी का कोई चिकित्सीय साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा परिवादिनी के कथनों के समर्थन में कोई स्वतंत्र साक्षी भी अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। हालांकि बलात्कार जैसे आरोप में पीड़िता का कथन मात्र ही बलात्कार के अपराध को साबित करने हेतु पर्याप्त है, परन्तु जहाँ पीड़िता व अभियुक्त के मध्य पूर्व में रंजिश या पार्टीबंदी हो, वहाँ पर पीड़िता द्वारा मिथ्या कथन किया जाना भी सम्भव है। पीड़िता के पति के साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने का कथन पीड़िता स्वयं द्वारा तथा चुटहिल पी०डब्लू०–2 द्वारा भी न्यायालय के समक्ष कहा गया है। पुलिस आख्या के अनुसार भी मारपीट की घटना में होने का कथन किया गया है। इन परिस्थितियों में परिवादिनी द्वारा घटना को बढ़ा–चढ़ाकर कहा जाना परिलक्षित हो रहा है। सभी अभियुक्तगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा उनके द्वारा एक साथ बलात्कार का प्रयास किया जाना, सामान्य परिस्थितियों में घटना को संदिग्ध बनाता है। अतः पीड़िता के साथ बलात्कार के प्रयास की घटना संदेहास्पद हो जाती है।

18. जहाँ तक परिवादिनी के साथ मारपीट कर हुई लूट की घटना का प्रश्न है तो उपरोक्त विश्लेषण से यह प्रतीत हो रहा है कि परिवादिनी द्वारा मारपीट की घटना को बढ़ा–चढ़ाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 द्वारा स्वयं कहा गया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी तथा परिवादिनी के साथ कोई मारपीट आदि की घटना नहीं हुई। अभियोजन द्वारा लूट की वस्तुओं का कब्जा स्वयं के पास होने के बावत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, इस कारण भी लूट की घटना संदेहास्पद प्रतीत होती है।

19. अभियुक्तगण को मारपीट के अपराध हेतु आरोपित नहीं किया गया है, परन्तु मारपीट के अपराध हेतु भा०दं०सं० की धारा–323 में प्रावधानित दण्ड अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपित अपराध के दण्ड से न्यून है व अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण द्वारा अपने मुख्य बयान में मारपीट की घटना को स्पष्टतः कहा गया है तथा अभियुक्तगण को मारपीट कर लूट करने के अपराध हेतु भी आरोपित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को मारपीट की घटना कारित करने का संज्ञान विचारण के दौरान रहा है तथा अभियुक्तगण के बचाव में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इन परिस्थितियों में अभियुक्तगण पर लगे आरोप अन्तर्गत धारा–397 भा०दं०सं० को आरोप अन्तर्गत धारा–323 भा०दं०सं० में परिवर्तित किया जाता है। उपरोक्त साक्ष्यों सम्यक विश्लेषण से यह

स्पष्ट हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादिनी के पति के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गयी। इन परिस्थितियों में अभियुक्तगण जस्सू, फूल सिंह, वन्टा, कल्लू, गुलाब, देवसिंह व लक्ष्मन अपराध अन्तर्गत धारा–323 भा०दं०सं० हेतु दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

20. उपरोक्त प्रकार से अभियोजन/परिवादी पक्ष की ओर से जिस प्रकृति की साक्ष्य इस प्रकरण में प्रस्तुत हुई है, उसके आधार पर अभियुक्तगण जस्सू, फूल सिंह, वन्टा, कल्लू, गुलाब, देवसिंह व लक्ष्मन पर लगे अपराध आरोप अन्तर्गत धारा–397 भा०दं०सं० के स्थान पर 323 भा०दं०सं० संदेह से परे साबित है, जिसके लिये अभियुक्तगण दोषसिद्ध होने योग्य हैं। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण जस्सू, फूल सिंह, वन्टा, कल्लू, गुलाब, देवसिंह व लक्ष्मन पर लगे अपराध आरोप अन्तर्गत धारा–376/511, 395, 397, 364 भा०दं०सं० को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, जिसके लिये अभियुक्तगण दोषमुक्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण जस्सू, फूल सिंह, वन्टा, कल्लू, गुलाब, देवसिंह व लक्ष्मन को परिवाद संख्या–56/2013 थाना पनवाड़ी, जिला महोबा के प्रकरण में अन्तर्गत धारा–397 भा०दं०सं० के स्थान पर धारा–323 भा०दं०सं० दोषसिद्ध किया जाता है तथा अपराध अन्तर्गत धारा–376/511, 395, 397, 364 भा०दं०सं० के अपराध आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जस्सू, फूल सिंह, वन्टा, कल्लू, गुलाब, देवसिंह व लक्ष्मन इस प्रकरण में पूर्व से जमानत पर हैं तथा आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। अभियुक्तगण को दोषसिद्ध अपराध आरोप अन्तर्गत धारा–323 भा०दं०सं० हेतु न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है तथा अभियुक्तगण के जमानतनामे निरस्त करते हुए प्रतिभुओं को उनके जमानत सम्बन्धी दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। दोषसिद्धगण जस्सू, फूल सिंह, वन्टा, कल्लू, गुलाब, देवसिंह व लक्ष्मन को सजा के बिन्दु पर सुना जाना आवश्यक है। अतः पत्रावली सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंच उपरान्त प्रस्तुत हो। दोषसिद्धगण जस्सू, फूल सिंह, वन्टा, कल्लू, गुलाब, देवसिंह व लक्ष्मन को सजा के बिन्दु पर सुने जाने हेतु लंच उपरान्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखा जाए।

11.06.2026

(ध्रुव राय)
अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट नं०–1)/
विशेष न्यायाधीश, द०प्र०क्षे० अधिनियमम
महोबा। UP02402

11.06.2026 (लंच उपरान्त)

पत्रावली लंच उपरान्त दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। दोषसिद्धगण जस्सू, फूल सिंह, वन्टा, कल्लू, गुलाब, देवसिंह व लक्षमन न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। दोषसिद्धगण को सजा के बिन्दु पर पूर्व आदेश के अनुक्रम में सुना गया।

दोषसिद्धगण की ओर से कहा गया कि यह उनका प्रथम अपराध है। अभियोजन पक्ष द्वारा दोषसिद्धगण की प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त किसी मामले में दोषसिद्धि होना नहीं कहा गया है। दोषसिद्धगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि दोषसिद्धगण वृद्ध उम्र के हैं तथा कमजोर आर्थिक स्थिति वाले शादी शुदा ग्रामीण पुरूष हैं। अपने परिवार की देखभाल व भरण पोषण की जिम्मेदारी दोषसिद्धगण पर है। अतः दोषसिद्धगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देकर परिवीक्षा पर रिहा किया जाये कम से कम दण्ड से या जुर्माने से दण्डित किया जाये।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा कथन व्यक्त किया गया कि दोषसिद्धगण द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है, जिसके लिए उन्हें अन्तर्गत धारा–323 भा०दं०सं० दोषसिद्ध किया गया है। अभियोजन साक्ष्य से दोषसिद्धगण की अपराध में भूमिका साबित हुई है। उक्त परिस्थितियों में दोषसिद्धगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक है, ताकि समाज में संदेश पहुंच सके कि अपराध कारित करने का परिणाम केवल कठोर दण्ड ही होता है।

न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के तर्कों के प्रकाश में दण्ड के बिन्दु पर विचार किया गया।

दोषसिद्धगण जस्सू, फूल सिंह, वन्टा, कल्लू, गुलाब, देवसिंह व लक्षमन को परिवाद संख्या–56/2013 थाना पनवाड़ी, जिला महोबा के प्रकरण में अन्तर्गत धारा–323 भा०दं०सं० दोषी पाया गया है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से दोषसिद्धगण की पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय के मत में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति एवं दोषसिद्धगण की उम्र व अपराध में दोषसिद्धगण की भूमिका को दृष्टिगोचर रखते हुए तथा दोषसिद्धगण की अपने परिवार के भरण–पोषण की जिम्मेदारी को भी दृष्टिगोचर रखते हुए उक्त अपराध के लिए दण्ड न देकर उनके अच्छे व्यवहार के लिए अपराधी परिवीक्षी की धारा–4 के प्राविधानों के अनुसार छः माह तक सदाचरण की परिवीक्षा पर रिहा किया जाता है तो इससे विधि की मंशा पूर्ण होना दर्शित होती है।

<u>दण्डादेश</u>

दोषसिद्ध जस्सू, फूल सिंह, वन्टा, कल्लू, गुलाब, देवसिंह व लक्षमन को परिवाद संख्या–56/2013 थाना पनवाड़ी, जिला महोबा के प्रकरण में अन्तर्गत धारा–323 भा०दं०सं० हेतु दण्ड न देकर उनके अच्छे व्यवहार के लिए अपराधी परिवीक्षी की धारा–4 के प्राविधानों के अनुसार छः माह तक सदाचरण की परिवीक्षा पर इस शर्त के साथ छोड़ा जाता है कि वे इस अवधि में किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य नहीं करेंगे एवं शान्ति बनाये रखेंगे। यदि सिद्धगण उक्त शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहे तो न्यायालय द्वारा उन्हें तलब कर दण्डित किया जायेगा। दोषसिद्धगण सम्बन्धित

जिला प्रोबेशन अधिकारी के अधीन एक माह के भीतर 25000/–रूपये की एक–एक जमानत तथा इतनी धनराशि के निजी बंधपत्र दाखिल करेंगे।

दोषसिद्धगण की ओर से जमानतें अन्तर्गत धारा–437 ए दं०प्र०सं० प्रस्तुत नहीं की गयी हैं। अतः दोषसिद्धगण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णय दिनांक से 15 दिवस के अन्दर जमानतें अन्तर्गत धारा–437 ए दं०प्र०सं० प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

निर्णय की एक प्रति दोषसिद्धगण को नियमानुसार निशुल्क प्रदान की जाये।

11.06.2026 (ध्रुव राय)
अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट नं०–1)/
विशेष न्यायाधीश, द०प्र०क्षे० अधिनियमम
महोबा। UP02402

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

11.06.2026 (ध्रुव राय)
अपर सत्र न्यायाधीश, (कोर्ट नं०–1)/
विशेष न्यायाधीश, द०प्र०क्षे० अधिनियमम
महोबा। UP02402

Digitally signed by DHRUVA RAI
Date: 2026.06.12 12:36:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court